



Date of Depositing Fee 25.02.2006
Date of Delivery 27.02.2006



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

कम्प्यूटर कोड सं- 2339

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (सम्पत्ति)

आगरा विकास प्राधिकरण,

आगरा

Compared by.....

Prepared by.....

पत्र सं- 3205 /डी.ए.ई(पी)/2006-07

सेवा में,

श्री मनोज

पुत्र श्री हाकिम सिंह

ग्राम व पोस्ट इरावत नगर

आगरा

दिनांक 12-9-06

विषय :- ताजनगरी द्वितीय चरण योजना, फेस-एफ 27 वर्ग मी0 भूखण्ड के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन फार्म सं0-24338 पंजीकरण दिनांक 24.3.06 के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 15.5.06 के द्वारा "अनु0जाति" आरक्षण श्रेणी में ताजनगरी द्वितीय चरण योजना में आवासीय प्रयोग हेतु दुर्बल आय वर्ग भूखण्ड संख्या भूखण्ड संख्या पी-396 जिसका मानक क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है, "शेष भुगतान दो माह में" भुगतान पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर आपके नाम आवंटित कर दिया गया है। विवरण निम्नवत् है :-

(1)	भूखण्ड का मूल्य	₹0	77355.00
(2)	12 प्रतिशत प्रीहोल्ड शुल्क	₹0	9283.00
	(क) कुल धनराशि (1)+(2)	₹0	86638.00
	(ख) आवेदन के समय जमा पंजीकरण धनराशि	₹0	3900.00
	(ग) वांछित आवंटन धनराशि	₹0	73455.00
	(घ) वांछित प्री होल्ड धनराशि	₹0	9283.00
	(च) जमा की जाने वाली धनराशि	₹0	82738.00
	(छ) कार्गन शुल्क 10 प्रतिशत		साइट प्लान के अनुसार यदि देय है।
	(ज) पार्क के सामने स्थित भूखण्ड पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देनी होगी।		
	(झ) 60 फुट या उससे अधिक चौड़ी सड़क के सहारे स्थित भूखण्ड पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देनी होगी।		

- अतः आप आवंटन धनराशि ₹ 73455.00 प्रीहोल्ड शुल्क ₹ 9,283.00 एवं अन्य शुल्क ₹ 300/- व ₹ 100/- सीमा स्तम्भ शुल्क, कुल धनराशि ₹ 83138.00 दि0 10/10/06 तक प्राधिकरण स्थित यूनिजन बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में जमा करा दें। उक्त धनराशि विलम्ब से जमा कराने की दशा में विलम्बित अवधि पर 14.5% वार्षिक की दर से विलम्ब ब्याज देय होगी।
- विलम्ब ब्याज सहित धनराशि जमा कराने हेतु आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से विलम्बित अवधि 90 दिवस होगी। यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब भूखण्ड का आवंटन बिना किसी अन्य सूचना के निरस्त करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।
- आवंटन पत्र जारी होने के दिनांक से 90 दिवस के भीतर आवश्यक धनराशि के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर व पासपोर्ट के 6 फोटों जमा कराकर भूखण्ड का कब्जा अनुबन्ध अपने पक्ष में निष्पादित कराना होगा।
- भूखण्ड का उपरोक्त क्षेत्रफल स्टैण्डर्ड है। विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व प्राप्त साइट प्लान के अनुसार यदि क्षेत्रफल में कोई अन्तर आता है तो आवंटनी को मान्य होगा तथा उपलब्ध स्थल एवं क्षेत्रफल के अनुसार कब्जा दिया जायेगा। क्षेत्रफल अधिक होने की दशा में आवंटनी को अन्तर की धनराशि विभाग द्वारा मांग किये जाने पर निर्धारित अवधि में जमा करनी होगी।
- आवंटनी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात् आवंटित भूखण्ड का कब्जा सूचना पत्र कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करना होगा।
- कब्जा सूचना पत्र निर्गत होने के 15दिन के अन्दर सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करना होगा। पंजीकरण एवं आवंटन नियमावली-2006 व समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा पारित संकल्पों को स्वीकार करने के लिए आवंटनी बाध्य होगा।
- यदि आप अवशेष धनराशि किसी ऋणदायी संस्था से ऋण लेकर एक मुश्त जमा करना चाहते हैं तो इसमें प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी परन्तु इस हेतु यदि आवंटित सम्पत्ति को ऋणदायी संस्था के पक्ष में बन्धक रखना वांछित हो तो प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

भवदीय 12/9/06